सत्यमेव जयते

भारतीय संसद

राज्य सभा अनुसंधान और अध्ययन (आरएसआरएस) योजना

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

©राज्य सभा सचिवालय
http://parliamentofindia.nic.in
http://rajyasabha.nic.in

विषय - वस्तु

		पृष्ठ
प्राक्कथन		(v)
राज्य सभा अनुसंधान और अध्ययन (आरएसआरएस) योजना		1
उद्देश्य		1
भाग क : अनुसंधान परामर्शदात्री समिति		1
(i)	गठन	1
(ii)	कार्य	1
(iii)	कार्यकाल	1
(iv)	समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की ग्राह्यता	2
भाग ख : डॉ. एस. राधाकृष्णन पीठ		
(i)	पात्रता	2
(ii)	अवधि	2
(iii)	अध्ययन-क्षेत्र	3
(iv)	परियोजना की निगरानी और पीठ की जिम्मेदारियां	3
(v)	पीठ के प्रतिवेदन का प्रकाशन	3
(vi)	अनुसंधान-अनुदान	4
(vii)	चयन की विधि	5
भाग ग : राज्य सभा अध्येतावृत्तियां		
(i)	पात्रता	5
(ii)	अवधि	6
(iii)	अध्ययन क्षेत्र	6
(iv)	परियोजना की निगरानी और अध्येताओं की जिम्मेदारियां	6
(v)	अध्येताओं के प्रतिवेदन का प्रकाशन	6
(vi)	अनुसंधान-अनुदान	7
(vii)	चयन की विधि	8

भाग घ : पीठ/ अध्येतावृत्ति के लिए सामान्य शर्तें		
(1)	पीठ/अध्येता द्वारा अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश	8
(2)	पीठ और अध्येतावृत्तियों के लिए अनुसंधान की व्यापक विषय-वस्तु	9
(3)	पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए वचन-पत्र	9
(4)	पुस्तकालय सुविधा	9
(5)	सभापति का निर्णय	9
भाग ड. :राज्य सभा विद्यार्थी अनुबंध इंटर्नशिप		
(i)	उद्देश्य	10
(ii)	पात्रता	10
(iii)	इंटर्न (प्रशिक्षुओं) का चयन	10
(iv)	प्रशिक्षुओं की तैनाती	10
(v)	अवधि	10
(vi)	वृत्तिका	10
(vii)	प्रबोधन एवं प्रतिवेदन	10
(viii)	प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना	10
उपाबंध-I : डा. एस. राधाकृष्णन पीठ/राज्य सभा अध्येतावृत्तियां प्रदान किए जाने के लिए आवेदन प्रपत्र		11
उपाबंध-II : पीठ के लिए अनुसंधान प्रयोजन हेतु मुख्य विषय		14
उपाबंध-III : पीठ के लिए वचन-पत्र		16
उपाबंध - IV : अध्येतावृत्ति के लिए वचन-पत्र		17
परिशिष्ट : पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए निबंधन और शर्तें		18
उपाबंध-V : राज्य सभा विद्यार्थी अनुबंध इंटर्नशिप प्रदान किए जाने के लिए आवेदन प्रपत्र		19

प्राक्कथन

राज्य सभा ने वर्ष 2009 में डा. एस. राधाकृष्णन पीठ ओर दो अध्येतावृत्तियां स्थापित करने की योजना बनाई थी जिसका उद्देश्य भारत में संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। परन्तु यह अनुभव किया गया कि पिछले एक दशक में इस योजना के कार्यकरण का पूरा परिणाम नहीं मिल पाया है। राज्य सभा के माननीय सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु की पहल पर, इस योजना की उपयोगिता और प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए वर्तमान योजना को और अधिक आकर्षक बनाने का निर्णय लिया गया। संशोधित योजना में (क) डा. राधाकृष्णन पीठ; (ख) राज्य सभा अध्येतावृत्तियां; और (ग) राज्य सभा विद्यार्थी अनुबंध इंटर्नशिप नामक तीन घटक हैं। इस परिवर्तित योजना को पुनः नामकरण करके 'राज्य सभा अनुसंधान और अध्ययन योजना(आरएसआरएस)' का नाम दिया गया है। इस योजना का व्यापक उद्देश्य 'संसद और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यकरण पर शोध/अनुभवजन्य/तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देना और देश के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में उनके योगदान का विश्लेषण करना तथा संसद के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु अनुसंधान-अध्ययन की उपयोगिता सुनिश्चित करना है।'

इस योजना के पात्रता, मानक और इस पीठ तथा अध्येताओं द्वारा अध्ययन किए जाने वाले विषयों के चयन जैसे विभिन्न पहलुओं तथा परियोजनाओं की निगरानी इत्यादि का सरलीकरण किया गया है। गंभीर विद्यार्थियों/विशेषज्ञों को आकर्षित करके उनके द्वारा अध्ययन करने तथा गुणवत्तापूर्ण प्रासंगिक शोध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुसंधान-अनुदान की राशि में वृद्धि की गई है। अध्येतावृत्तियों की संख्या को भी बढ़ाकर दो से चार कर दिया गया है।

किसी भी विषय में पढ़ाई कर रहे स्नातक/स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को भारत की संसद और विशेषकर राज्य सभा के कार्यकरण से अवगत कराने के लिए इन विद्यार्थियों हेतु दस (10) इंटर्नशिप प्रदान करने वाली एक नई इंटर्नशिप योजना की भी शुरूआत की गई है।

इस पुस्तिका में संशोधित योजना का विवरण, आवेदन-पत्र और पीठ तथा अध्येतावृत्तियों के लिए वचन-पत्र और नियम तथा शर्तें और उनके अध्ययन हेतु व्यापक विषयों का उल्लेख किया गया है।

देश दीपक वर्मा
महासचिव,
राज्य सभा

नई दिल्ली
जुलाई, 2019

राज्य सभा अनुसंधान और अध्ययन (आरएसआरएस) योजना

उद्देश्य

1. राज्य सभा अनुसंधान और अध्ययन (आरएसआरएस) योजना के तीन घटक अर्थात् डा. राधाकृष्णन पीठ, चार राज्य सभा अध्येतावृत्तियां और दस इंटर्नशिप हैं। इस योजना का उद्देश्य संसद और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यकरण पर अनुसंधान/अनुभवजन्य/तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देना और देश के आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन में उनके योगदान का विश्लेषण करना तथा संसद के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु अध्ययन की उपयोगिता सुनिश्चित करना; और संसदीय/सांविधानिक अध्ययन, विकास-अध्ययन, लोक शासन, विधिक अध्ययन आदि के क्षेत्र में कार्यरत शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं को शामिल करना है।

भाग क : अनुसंधान परामर्शदात्री समिति (आरएसी)

(i) **गठन**

2. पीठ तथा अध्येतावृत्तियों के चयन तथा संचालन में राज्य सभा के सभापति की सहायता करने के लिए अनुसंधान परमर्शदात्री समिति का गठन किया जाएगा।

3. इस समिति में पांच सदस्य होंगे जिनको राज्य सभा के सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किया जाएगा। इनमें से दो राज्य सभा सदस्य तथा दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे। राज्य सभा के महासचिव इस समिति के सदस्य-संयोजक होंगे।

(ii) **कार्य**

4. अनुसंधान परामर्शदात्री समिति पीठ और अध्येताओं के नामों की सूची बनाएगी।

5. इसके अतिरिक्त अनुसंधान परामर्शदात्री समिति निम्नलिखित कार्य भी करेगीः

- पीठ और अध्येतावृत्तियों हेतु अनुसंधान और अध्ययन क्षेत्रों की पहचान करना;
- पीठ और अध्येताओं के कार्य-निष्पादन की निगरानी तथा उसका मूल्यांकन करना; और
- राज्य सभा के सभापति द्वारा समय-समय पर समिति को सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

(iii) **कार्यकाल**

6. परामर्शदात्री समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। राज्य सभा के सभापति अपने विवेक से इसके कार्यकाल को बढ़ा सकेंगे।

7. अनुसंधान परामर्शदात्री समिति के किसी वर्तमान सदस्य को इसका पुनर्गठन किए जाने पर, इस समिति में पुनः नाम-निर्देशित किया जा सकता है।

(iv) **समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्तों की ग्राह्यता**

8. समिति के सदस्यों को जब भी समिति के कार्य के संबंध में यात्रा करने की आवश्यकता होगी तब उन्हें संसद सदस्यों अथवा राज्य सभा के महासचिव, यथास्थिति, पर लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्तों दैनिक/भत्तों का भुगतान किया जाएगा। संसद सदस्यों के अतिरिक्त, अन्य सदस्यों तथा महासचिव को सत्रावधि के दौरान समिति की प्रत्येक बैठक के लिए सांकेतिक मानदेय के रूप में 1000/- रुपए का भी भुगतान किया जाएगा।

भाग ख : डा. एस. राधाकृष्णन पीठ

(i) **पात्रता**

9. इस पीठ के लिए ऐसे विख्यात शोधार्थी प्रतिष्ठित शिक्षाविद/विशेषज्ञ आवेदन कर सकते हैं जिनके पास राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाओं और देश के सामने सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के अध्ययन से संबंधित अनुसंधान अथवा विद्वता और प्रकाशनों का प्रामाणिक अनुभव हो। संसद/राज्य विधान मंडलों के पूर्व-सदस्य तथा संसद/सचिवालय/राज्य विधान मंडल सचिवालय के पूर्व अधिकारी भी इसके लिए आवेदन के पात्र हैं।

10. इस पीठ के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता उस विषय में पी-एच.डी की उपाधि का होना अनिवार्य है, जो अध्ययन के विषय हेतु प्रासंगिक है।

11. आवेदक की आयु आवेदन के समय 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (जिसे सुयोग्य आवेदकों के मामले में अनुसंधान परामर्शदात्री समिति शिथिल कर सकेगी) चयन के समय आवेदक के शैक्षणिक कार्यों तथा अन्य व्यस्तताओं को ध्यान में रखा जाएगा ताकि वह पीठ के अनुसंधान कार्य के निष्पादन हेतु अपेक्षित समय और ऊर्जा लगा सके।

(ii) **अवधि**

12. पीठ का कार्यकाल पीठ के प्रदान किए जाने की तिथि से (जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा) दो वर्षों का होगा।

(iii) **अध्ययन-क्षेत्र**

13. पीठ, अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा सुविचारित तथा अनुशंसित अनुसंधान विषयों पर कार्य करेगी जिसका व्यापक उद्देश्य इस योजना के उद्देश्य के अनुसरण में अनुसंधान आधारित अध्ययन को सक्षम बनाना होगा।

14. अनुसंधान परामर्शदात्री समिति व्यापक विषयों के बारे में निर्णय लेगी। यह विषय इस समिति के सदस्यों से प्राप्त अथवा राज्य सभा सचिवालय द्वारा प्रस्तावित अथवा आवेदकों द्वारा प्रस्तावित विषयों में से कोई भी विषय हो सकता है।

(iv) **परियोजना की निगरानी और पीठ की जिम्मेदारियां**

15. पीठ को प्रत्येक छः माह में अपने कार्य की प्रगति की संवादमूलक समीक्षा के संबंध में अनुसंधान परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुति देनी होगी। पीठ को कार्य की आवधिक समीक्षा के समय अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा दिए गए विचारों और सुझावों पर ध्यान देना होगा।

16. पीठ को अपने कार्यकाल की समाप्ति पर अनुसंधान परामर्शदात्री समिति को अपना अनुसंधान प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। अनुसंधान परामर्शदात्री समिति पीठ द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार करने/अतिरिक्त निर्देश देने पर विचार करेगी।

17. राज्य सभा के माननीय सभापति को भी समय-समय पर पीठ के कार्य की प्रगति के बारे में अवगत कराया जाएगा।

(v) **पीठ के प्रतिवेदन का प्रकाशन**

18. अनुसंधान परामर्शदात्री समिति प्रत्येक मामले में अलग-अलग विचार करके अनुसंधान-अध्ययन के प्रकाशन को स्वीकृति प्रदान करेगी।

19. पीठ, अनुसंधान परामर्शदात्री समिति के अनुमोदन के पश्चात् अपने स्तर पर अनुसंधान-अध्ययन का प्रकाशन करवा सकेगी। यदि पीठ प्रतिवेदन का प्रकाशन करवाती है, तो उसे इसकी 15 मानार्थ प्रतियां राज्य सभा सचिवालय को प्रदान करनी होंगी।

20. परंतु यदि पीठ राज्य सभा सचिवालय से प्रतिवेदनों को प्रकाशित करवाने का अनुरोध करती है तो राज्य सभा सचिवालय अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा इसके प्रकाशन की अनुशंसा किए जाने के पश्चात् इसे प्रकाशित करवा सकेगा।

21. यदि अनुसंधान अध्ययन को राज्य सभा सचिवालय प्रकाशित करवाता है तो लेखक को इसका सम्यक श्रेय दिया जाएगा और इसका कॉपीराइट राज्य सभा सचिवालय के पास रहेगा।

22. इसके अतिरिक्त यदि प्रतिवेदन को पीठ द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है तो इस पुस्तक के भीतरी मुख पृष्ठ पर साफ अक्षरों में निम्नलिखित डिस्क्लेमर मुद्रित किया जाएगाः

> "इस पुस्तक का प्रकाशन राज्य सभा सचिवालय द्वारा डा. एस. राधाकृष्णन पीठ के प्राप्तकर्ता को सहायता प्रदान किए जाने के रूप में प्रायोजित किया गया है। इस पुस्तक में व्यक्त किए गए तथ्य अथवा राय की जिम्मेदारी पूर्णतया लेखक की है और राज्य सभा सचिवालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।"

(iv) **अनुसंधान-अनुदान**

23. पीठ के लिए अनुसंधान अनुदान दो वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिए 20 लाख रूपये होगा। अनुदान निम्नानुसार जारी किया जाएगाः-

(क) चयन के समय देय राशि का 20 प्रतिशत;

(ख) प्रथम प्रारूप प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद देय राशि का 30 प्रतिशत;

(ग) प्रतिवेदन के अंतिम प्रारूप को प्रस्तुत करने के बाद देय राशि का 30 प्रतिशत। अंतिम प्रारूप पीठ के कार्यकाल के समापन की तारीख से कम से कम तीन महीने पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा; और

(घ) शेष राशि का भुगतान राज्य सभा के समापति द्वारा पुस्तक परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा।

24. इसके अतिरिक्त दो वर्ष की सम्पूर्ण अवधि के लिए 2.5 लाख रूपये की राशि आकस्मिक अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।

25. अनुसंधान-अनुदान की राशि परियोजना की प्रगति के आधार पर अनुसंधान परामर्शदात्री समिति की अनुशंसा के पश्चात् दी जाएगी।

26. अनुसंधान की परियोजना संपूर्ण लागत पीठ द्वारा उपर्युक्त अनुसंधान और आकस्मिक अनुदान से वहन की जाएगी।

(vii) **चयन की विधि**

27. पीठ के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन को प्रतिष्ठित शैक्षिक पत्र-पत्रिकाओं और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। इस विज्ञापन को राज्य सभा की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा।

28. आवेदकों को अपना विवरण निर्धारित प्रपत्र (**उपाबंध-I**) में पूरी तरह भरकर भेजना होगा और साथ में अपने अनुसंधान प्रस्ताव का सारांश भी भेजना होगा।

29. इन आवेदनों पर अनुसंधान परामर्शदात्री समिति विचार करेगी और राज्य सभा के सभापति के पास पीठ के चयन हेतु अनुशंसित नामों की सूची भेजेगी। यह समिति अपनी तरफ से भी पीठ के लिए प्रस्तावित विख्यात विद्वानों के नाम (नामों) का सुझाव दे सकती है।

30. चयनित व्यक्ति यदि पहले से ही कहीं नियोजित है तो उसे इस कार्य को करने के लिए अपनी नियोजक संस्था से अनापत्ति प्रमाणपत्र देना होगा।

भाग - ग : राज्य सभा अध्येतावृत्ति

31. अध्येतावृत्ति योजना संसदीय संस्थाओं के कार्यकरण और इन्हें पेश आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर केन्द्रित है। इन अध्येतावृत्तियों की संख्या चार है।

(i) **पात्रता**

32. यह अध्येतावृत्ति उन विद्वानों के लिए है जिनके पास इस योजना के उद्देश्यों से संबंधित अध्ययन करने हेतु संगत शैक्षिक योग्यता/अनुभव है। संसद/राज्य विधान मंडलों के पूर्व सदस्य और संसद/राज्य विधान मंडलों के सचिवालयों के पूर्व अधिकारी भी इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

33. आवेदक की आयु आवेदन के समय 25-65 वर्ष (जिसे सुयोग्य आवेदकों के मामले में अनुसंधान परामर्शदात्री समिति शिथिल कर सकती है) के बीच होनी चाहिए।

34. आवेदक के पास सामाजिक विज्ञान, विधि और अध्ययन के विषय के संगत अन्य संबद्ध विषयों में न्यूनतम स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। एम. फिल और पी-एच.डी. की योग्यता वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।

(ii) **अवधि**

35. अध्येतावृत्ति की अवधि इसे दिए जाने की तिथि से 18 माह (जिसे छः माह बढ़ाया जा सकेगा) होगी।

(iii) **अध्ययन - क्षेत्र**

36. अध्येता अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख विधानों के प्रभाव के मूल्यांकन, संसदीय समितियों के कार्यकरण, प्रमुख संसदीय साधनों की प्रभावकारिता और राष्ट्रमंडल देशों की अन्य संसदों के मुकाबले भारत की संसद में सांस्थानिक/प्रक्रियात्मक सुधारों इत्यादि विषयों का अध्ययन करेंगे।

37. अनुसंधान परामर्शदात्री समिति व्यापक विषयों के बारे में अंतिम निर्णय लेगी। यह विषय इस समिति के सदस्यों से प्राप्त अथवा राज्य सभा सचिवालय द्वारा प्रस्तावित अथवा आवेदकों द्वारा प्रस्तावित विषयों में से कोई भी विषय हो सकता है।

(iv) **परियोजना की निगरानी और अध्येताओं की जिम्मेदारियां**

38. अध्येताओं को प्रत्येक छः माह में उन्हें सौंपे गए कार्य की स्थिति का प्रतिवेदन अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किए जाने हेतु प्रस्तुत करना होगा।

39. अध्येताओं को प्रत्येक छः माह में अपने कार्य की प्रगति की संवादमूलक् समीक्षा के संबंध में अनुसंधान परामर्शदात्री समिति की प्रस्तुति देनी होगी। अनुसंधान अध्येताओं को कार्य की आवधिक समीक्षा के समय परामर्शदात्री समिति द्वारा दिए गए विचारों और सुझावों को ध्यान में रखना होगा।

40. अध्येताओं को अपने कार्यकाल की समाप्ति पर अनुसंधान परामर्शदात्री समिति को अपना अनुसंधान प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। अनुसंधान परामर्शदात्री समिति अध्येताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार करने/अतिरिक्त निर्देश देने पर विचार करेगी।

(v) **अध्येताओं के प्रतिवेदन का प्रकाशन**

41. अनुसंधान परामर्शदात्री समिति प्रत्येक मामले में अलग-अलग विचार करके अनुसंधान-अध्ययन के प्रकाशन को स्वीकृति प्रदान करेगी।

42. अध्येता अनुसंधान परामर्शदात्री समिति के अनुमोदन के पश्चात् अपने स्तर पर अनुसंधान अध्ययन का प्रकाशन करवा सकेंगे। यदि अध्येता प्रतिवेदन का प्रकाशन करवाते हैं, तो उन्हें इसकी 15 मानार्थ प्रतियां राज्य सभा सचिवालय को प्रदान करनी होंगी।

43. तथापि यदि अध्येता राज्य सभा सचिवालय से प्रतिवेदन को प्रकाशित करवाने का अनुरोध करते हैं तो राज्य सभा सचिवालय अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा इसके प्रकाशन की अनुशंसा किए जाने के पश्चात् इसे प्रकाशित करवा सकेंगे।

44. यदि अनुसंधान अध्ययन को राज्य सभा सचिवालय प्रकाशित करवाता है तो लेखक को इसका सम्यक श्रेय दिया जाएगा और इसका कॉपीराइट राज्य सभा सचिवालय के पास रहेगा।

45. इसके अतिरिक्त यदि प्रतिवेदन को अध्येताओं द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है तो इस पुस्तक के भीतरी मुख पृष्ठ पर साफ अक्षरों में निम्नलिखित डिस्क्लेमर मुद्रित किया जाएगाः

"इस पुस्तक का प्रकाशन राज्य सभा सचिवालय द्वारा राज्य सभा अध्येतावृत्ति के प्राप्तकर्ता को सहायता प्रदान किए जाने के रूप में प्रायोजित किया गया है। इस पुस्तक में व्यक्त किए गए तथ्य अथवा राय की जिम्मेदारी पूर्णतया लेखक की है और राज्य सभा सचिवालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।"

(vi) **अनुसंधान - अनुदान**

46. अध्येतावृत्ति के लिए अनुसंधान-अनुदान दो वर्ष की संपूर्ण अवधि हेतु 8 लाख रूपए होगा। अनुदान निम्नानुसार जारी किया जाएगाः

(क) चयन के समय देय राशि का 20 प्रतिशत;

(ख) प्रथम प्रारूप प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद देय राशि का 30 प्रतिशत;

(ग) प्रतिवेदन का अंतिम मसौदा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् धनराशि का 30 प्रतिशत। अंतिम मसौदा कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से कम से दो माह पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा; और

(घ) शेष धनराशि का भुगतान राज्य सभा के सभापति द्वारा इस प्रतिवेदन का अनुमोदन किए जाने के पश्चात् किया जाएगा।

47. इसके अतिरिक्त, संपूर्ण अवधि के लिए 50,000/-रुपए का आकस्मिक अनुदान होगा।

48. अनुसंधान अनुदान का जारी किया जाना अनुसंधान परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के अध्यधीन होगा।

49. अनुसंधान परियोजना की संपूर्ण लागत का वहन अध्येताओं द्वारा उपर्युक्त अनुसंधान अनुदान में से किया जाएगा।

(vi) **चयन की विधि**

50. आवेदनों पर अनुसंधान परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने के लिए नामों के एक पैनल की राज्य सभा के सभापति से सिफारिश करेगी। समिति अपनी ओर से भी अध्येतावृत्ति के लिए प्रतिष्ठित विद्वानों के नाम/नामों के संबंध में सुझाव दे सकती है।

51. आवेदनों को अनुसंधान प्रस्ताव के सारांश के साथ अपनी जानकारी विहित प्रारूप (**उपाबंध-I**) में विधिवत रूप से भरकर भेजनी होगी।

भाग घ : पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए सामान्य शर्तें

(1) **पीठ/अध्येता द्वारा अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश**

52. प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय प्रारूप मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिएः

(i) *परियोजना का शीर्षक*

(ii) *समस्या का विवरण* : अनुसंधान प्रस्ताव के आरंभिक अनुच्छेदों में जांच की जाने वाली समस्या का स्पष्ट और संक्षिप्त उल्लेख होना चाहिए। संबंधित विषय के सैद्धांतिक संदर्भ में इस समस्या का महत्व विनिर्दिष्ट होना चाहिए।

(iii) *साहित्य का सिंहावलोकन* : मुख्य निष्कर्षों सहित अनुसंधान के क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का सार प्रस्तुत करते समय परियोजना प्रस्ताव में इस समस्या की जांच में इन निष्कर्षों या दृष्टिकोणों की प्रासंगिकता या अन्य किसी संबंधित जानकारी का स्पष्ट निरूपण होना चाहिए।

(iv) *संकल्पनात्मक रूपरेखा* : समस्या तथा समस्या की जांच के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस प्रस्ताव में उन संकल्पनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिनका प्रयोग किया जाना है और अध्ययन के लिए उनकी प्रासंगिकता का निरूपण भी होना चाहिए। इसमें अनुभवजन्य आयाम, यदि कोई हो, तो वह भी विनिर्दिष्ट होना चाहिए, जिसका समस्या की जांच के लिए पता लगाना जरूरी है।

(v) *अनुसंधान संबंधी प्रश्न अथवा परिकल्पनाएं* : समस्या के संकल्पनात्मक स्वरूप और आयामों को देखते हुए, प्रस्तावित अध्ययन के माध्यम से जिन विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं और जिन परिकल्पनाओं की जांच की जानी है, उन्हें स्पष्ट रूप से तैयार किया जाना चाहिए और अनुसंधान अभिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।

(vi) *व्याप्ति* : उठाए गए प्रश्नों या जांच की जाने वाली प्रस्तावित परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य में, यदि नमूना चयन आवश्यक हो जाता है, तो निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में पूरी सूचना दी जानी चाहिएः

(क) अध्ययन जगत;

(ख) नमूना चयन संरचना; और

(ग) अवलोकन के एकक और नमूना आकार।

यदि अध्ययन के लिए किसी नियंत्रण दल की आवश्यकता पड़े तो उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। नमूने के आकार और प्रकार के निर्धारण को स्पष्ट किए जाने की भी आवश्यकता होगी। जिन प्रस्तावों के लिए नमूना चयन की आवश्यकता नहीं होती, उनमें कार्य-योजना यथोचित रूप से विनिर्दिष्ट होनी चाहिए और इसकी तार्किकता का वर्णन किया जाना चाहिए।

(vii) *कार्य- पद्धति* : अध्ययन के लिए अनुसंधान की प्रक्रियाओं का उपयुक्त विवरण दिया जाए।

(viii) *आंकड़ों का संग्रहण* : उन विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए जिन्हें एकत्र किए जाने का प्रस्ताव है। हर प्रकार के आंकड़ों के लिए स्रोतों तथा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के संग्रहण में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों एवं तकनीकों को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(ix) *समय का आवंटन* : परियोजना को उपयुक्त चरणों में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक चरण के कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(x) *संदर्भ-ग्रंथ सूची*

(2) **पीठ और अध्येतावृत्तियों के लिए अनुसंधान की व्यापक विषय-वस्तु**

53. पीठ एवं अध्येताओं को **उपाबंध-II** में वर्णित व्यापक विषय-वस्तुओं पर अनुसंधान कार्य करना होगा।

(3) **पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए वचन-पत्र**

54. पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए चयनित आवेदक को एक वचन-पत्र तथा इसके साथ संलग्न शर्तों (**उपाबंध-III/उपबंध-IV**) पर अलग-अलग हस्ताक्षर करना होगा।

(4) **पुस्तकालय सुविधा**

55. पीठ/अध्येता को परामर्श के लिए संसद पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

(5) **सभापति का निर्णय**

56. पीठ/अध्येतावृत्तियों से संबंधित सभी मामलों में राज्य सभा के सभापति का निर्णय अंतिम होगा।

भाग ङ : राज्य सभा विद्यार्थी अनुबंध इंटर्नशिप

(i) **उद्देश्य**

57. इंटर्नशिप स्कीम का उद्देश्य छात्रों को भारतीय संसद, विशेषकर राज्य सभा के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न प्रक्रियागत पक्षों से परिचित कराने में सहायता प्रदान करना है।

(ii) **पात्रता**

58. किसी भी विषय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र गर्मी की छुट्टियों के दौरान इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। स्नातक एवं स्नातकोत्तर आवेदकों में प्रत्येक के लिए पांच-पांच अर्थात् कुल मिलाकर दस इंटर्नशिप होंगी। हालांकि स्नातक और स्नातकोत्तर आवेदकों में इंटर्नशिप की स्थिति प्राप्त आवेदनों एवं आवेदकों की योग्यता पर निर्भर करेगी। आवेदकों को अपनी जानकारी विहित प्रपत्र (**उपाबंध V**) में विधिवत रूप से भरकर भेजना होगा।

(iii) **इंटर्न (प्रशिक्षुओं) का चयन**

59. प्रशिक्षुओं का चयन राज्य सभा सचिवालय द्वारा महासचिव, राज्य सभा के निदेश के अनुरूप होगा।

(iv) **प्रशिक्षुओं की तैनाती**

60. ये प्रशिक्षु सचिवालय के प्रमुख अनुभागों यथा विधायी अनुभाग, बिल ऑफिस, पटल कार्यालय, समिति अनुभागों इत्यादि में संबंधित शाखा प्रमुख के पर्यवेक्षण/संरक्षण में तैनात किए जाएंगे जहां पर इन्हें सचिवालय के कार्यकरण से परिचित कराया जाएगा।

(v) **अवधि**

61. इंटर्नशिप की अवधि इंटर्नशिप प्रदान किए जाने की तारीख से दो माह तक के लिए होगी।

(vi) **वृत्तिका**

62. एक प्रशिक्षु को प्रतिमाह 10,000/- रुपए की कुल राशि वृत्तिका के रूप में प्रदान की जाएगी।

(i) **प्रबोधन एवं प्रतिवेदन**

63. प्रशिक्षुओं को उनके इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रारंभ में आवश्यक जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षुओं को अपनी प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर संबंधित पर्यवेक्षक/परामर्शदाता को उनके कार्य और अधिगम अनुभव के बारे में संगत फीडबैक यदि कोई हो, के साथ एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(vii) **प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना**

64. इंटर्नशिप के सफल समापन पर प्रत्येक प्रशिक्षु को एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

उपाबंध-I

*डॉ. एस. राधाकृष्णन पीठ/राज्य सभा अध्येतावृत्तियां प्रदान किए जाने के लिए आवेदन प्रपत्र

यहाँ पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

1. **नाम**_____
   (बड़े अक्षरों में)
2. **पिता का नाम**_____
   (बड़े अक्षरों में)
3. **जन्म-तिथि**_____
4. **पत्राचार हेतु पता** _____

   दूरभाष/मोबाइल नं. _____

   ई-मेल _____
5. **स्थायी पता** _____

   _____
6. **वर्तमान में जिस संस्था में कार्यरत हैं, उसका नाम (पता सहित)** _____

   _____

   दूरभाष: _____ **फैक्स** _____
7. **शैक्षणिक योग्यताएं: (कृपया केवल तीन मुख्य डिग्रियों का उल्लेख करें) (सबसे उच्चतर डिग्री से प्रारम्भ करें)**

डिग्री/प्रमाणपत्र	संस्था	वर्ष

8. **शिक्षण/अनुसंधान का अनुभव, यदि कोई हो (यदि आवश्यक हो, तो पृथक पृष्ठ संलग्न करें)**

पद/अनुसंधान अध्ययन का शीर्षक	संस्था का नाम	वर्ष

9. **प्रकाशन** : (**यदि आवश्यक हो, तो पृथक पृष्ठ संलग्न करें**)

शीर्षक	संस्था/ प्रकाशक का नाम	वर्ष

10. **संसदीय अध्ययन के क्षेत्र में अनुभव, यदि कोई हो, (यदि आवश्यक हो, तो पृथक पृष्ठ संलग्न करें)**

_____
_____
_____
_____

अनुसंधान प्रस्ताव

अनुसंधान और सलाहकार समिति द्वारा सुविज्ञ आकलन के लिए कृपया इस आवेदन के साथ प्रस्तावित अनुसंधान परियोजना का सारांश संलग्न करें। अनुसंधान प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए:

(दिशानिर्देशों के लिए योजना के भाग 'घ' का संदर्भ लें)

- सार
- अनुसंधान हेतु चयनित विषय का शीर्षक, उसकी पृष्ठभूमि और उसका विवरण
- साहित्यिक सामग्री का सिंहावलोकन
- संकल्पनात्मक रूपरेखा

- अनुसंधान संबंधी प्रश्न अथवा परिकल्पनाएं
- व्याप्ति
- कार्य-पद्धति
- आंकड़ों का संग्रहण
- समय का आवंटन
- संदर्भ-ग्रंथ सूची
- प्रगति की समय-सारणी (अर्धवार्षिक)

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि इस आवेदन में दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर _____ दिनांक _____

नाम और पता _____

_____

_____

---

*आवेदन उस विभाग/संगठन के प्रमुख के माध्यम से अग्रेषित किया जाना चाहिए जहां आवेदक कार्यरत है।

उपाबंध II

1. <u>पीठ के लिए अनुसंधान प्रयोजन हेतु मुख्य विषय</u>

(i) **भारत के आर्थिक विकास की गाथा : भारतीय संसद का योगदान**

- भारत के आर्थिक विकास में एक उत्प्रेरक के रूप में संसद की भूमिका और योगदान
- 80 और 90 के दशकों में सामाजिक मुद्दों के बजाय आर्थिक मुद्दों पर जोर देने की प्रवृत्ति में बदलाव पर ध्यान केन्द्रित किया जाना
- विनियमित अर्थव्यवस्था से वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में रूपांतरण और संबद्ध चुनौतियां, वैश्विक व्यापार व्यवस्था का प्रभाव, उठाए गए विधायी कदम इत्यादि

(ii) **विधायी प्रभाव का आकलन : भारत के लिए एक रूपरेखा**

- विधायी पूर्व प्रभाव के आकलन की परिपाटी भारत में विद्यमान नहीं है;
- अध्ययन का केन्द्र-बिंदु भारत के वर्तमान परिदृश्य में विधानों के प्रभाव का आकलन, कार्यान्वयन की लागत और उसके परिणाम, विकसित देशों की सर्वोत्तम परिपाटियां, भारत के लिए विधायी ढांचा आदि होना चाहिए।

(iii) **संसद का प्रशासन और प्रबंधन : भारत एवं अंतरराष्ट्रीय अनुभव**

- संसद के प्रभावी कार्यकरण के लिए संसद/विधान मंडल के पीठासीन अधिकारियों के नियंत्रण में स्वतंत्र सचिवालय की पद्धति
- संवैधानिक उपबंध एवं परिपाटियां
- भर्ती एवं कार्मिक व्यवस्था पद्धति
- इंग्लैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया इत्यादि जैसी राष्ट्रमंडलीय संसदों की सर्वोत्तम परिपाटियां

II. <u>अध्येतावृत्तियों के लिए अनुसंधान हेतु मुख्य विषय</u>

(i) **भारत की संघीय प्रणाली : राज्यों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने में राज्य सभा की भूमिका**

शोधार्थियों द्वारा चयनित विषय सटीक तथा विषय, क्षेत्र, समयावधि इत्यादि तक सीमित होना चाहिए।

(ii) **संसदीय समिति प्रणाली : उद्देश्य एवं प्रभावकारिता**

विशिष्ट निष्कर्षों/सिफारिशों के लिए अनुसंधान-कार्य को सामान्य प्रकृति का होने के बजाय चुनिंदा एक या दो समितियों के अध्ययन तक सीमित होना चाहिए।

(iii) **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक : उद्देश्य, प्रभावकारिता और भविष्य**

अध्ययन उन सीमाओं और कारकों पर केंद्रित होना चाहिए जो गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के प्रावधानों के सफल अनुप्रयोग पर असर डालते हैं।

(iv) **संसद और मीडिया : अंतर-संस्थानिक संबंध**

शोधार्थी को संसद और मीडिया के बीच संबंधों के प्रासंगिक पक्षों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

(v) **संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की जवाबदेही : प्रक्रियागत उपायों की भूमिका एवं प्रभावकारिता**

अनुसंधान अध्ययन का केन्द्र-बिंदु कोई एक अथवा प्रश्न, ध्यानाकर्षण, अल्पकालिक चर्चा, इत्यादि जैसे प्रक्रियागत उपायों का कोई एक संयोजन होना चाहिए ताकि यह आकलन किया जा सके कि संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में वे कितने प्रभावी हैं।

उपाबंध - III

पीठ के लिए वचन-पत्र

1. "मैं राज्य सभा सचिवालय द्वारा प्रस्तुत डा. एस. राधाकृष्णन पीठ को एतद्द्वारा स्वीकार करता/करती हूं जिसमें " ..... " नामक शीर्षक के अधीन विहित रीति में रुपए ..... (रुपए.....) की धनराशि संवितरित की जाएगी और मैं **परिशिष्ट** में अंतर्विष्ट सभी अपेक्षाओं एवं शर्तों को पूरा करने के लिए भी सहमत हूं। मैं वर्तमान नियमों और उन नियमों, जो भविष्य में बनाए जाएंगे, का भी पालन करूंगा/करूंगी।

2. मैं राज्य सभा सचिवालय द्वारा उपर्युक्त परियोजना के संबंध में खर्च की गई समस्त राशि को निर्धारित ब्याज सहित लौटाने पर सहमत हूं, यदि वह कार्य जिसके लिए अनुदान दिया गया है, या तो मेरे द्वारा उचित रूप से निष्पादित नहीं किया जाता है अथवा रोक दिया जाता है अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रारूप प्रतिवेदन अनुसंधान सलाहकार समिति/राज्य सभा सचिवालय द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

3. मैं इस विषय/परियोजना पर अनुसंधान करने के लिए किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं करूंगा/करूंगी।

4. मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरे द्वारा 'अवार्ड' से जुड़ी किन्हीं शर्तों का उल्लंघन/संशोधन/उपेक्षा किए जाने पर राज्य सभा सचिवालय को 'अवार्ड' को निलंबित करने का अधिकार है।

5. मैं इस बात से भी सहमत हूं कि उपरोक्त पैरा 2 के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार लोक ऋण अधिनियम, 1944 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन मेरे नाम बकाया किसी भी राशि की मुझसे अथवा मेरी संस्था के माध्यम से राज्य सभा सचिवालय के विवेकानुसार वसूली की जा सकती है।

पीठ के हस्ताक्षर

विभाग/संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

उपाबंध - IV

अध्येतावृत्ति के लिए वचन-पत्र

1. "मैं राज्य सभा सचिवालय द्वारा प्रस्तुत राज्य सभा अध्येतावृत्ति को एतद्द्वारा स्वीकार करता/करती हूं जिसमें " ..... " नामक शीर्षक के अधीन विहित रीति में रुपए ..... (रुपए.....) की धनराशि संवितरित की जाएगी और मैं **परिशिष्ट** में अंतर्विष्ट सभी अपेक्षाओं एवं शर्तों को पूरा करने के लिए भी सहमत हूं। मैं वर्तमान नियमों और उन नियमों, जो भविष्य में बनाए जाएंगे, का भी पालन करूंगा/करूंगी।

2. मैं राज्य सभा सचिवालय द्वारा उपर्युक्त परियोजना के संबंध में खर्च की गई समस्त राशि को निर्धारित ब्याज सहित लौटाने पर सहमत हूं, यदि वह कार्य जिसके लिए अनुदान दिया गया है, मेरे द्वारा या तो उचित रूप से निष्पादित नहीं किया जाता है अथवा रोक दिया जाता है अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रारूप प्रतिवेदन अनुसंधान सलाहकार समिति/राज्य सभा सचिवालय द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है।

3. मैं इस विषय/परियोजना पर अनुसंधान करने के लिए किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं करूंगा।

4. मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरे द्वारा 'अवार्ड' से जुड़ी किन्हीं शर्तों का उल्लंघन/संशोधन/उपेक्षा किए जाने पर राज्य सभा सचिवालय को 'अवार्ड' को निलंबित करने का अधिकार है।

5. मैं इस बात से भी सहमत हूं कि उपरोक्त पैरा 2 के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार लोक ऋण अधिनियम, 1944 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन मेरे नाम बकाया किसी भी राशि की मुझसे अथवा मेरी संस्था के माध्यम से राज्य सभा सचिवालय के विवेकानुसार वसूली की जा सकती है।

अध्येता के हस्ताक्षर

विभाग/संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

परिशिष्ट

पीठ/अध्येतावृत्ति के लिए निबंधन और शर्तें

1. पूर्णतः तैयार अनुसंधान प्रतिवेदन को योजना में यथा उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत करना होना।

2. विनिर्दिष्ट अंतरालों पर प्रतिवेदनों को प्रस्तुत न किए जाने पर बिना किसी सूचना के अनुदान निलम्बित/रद्द किया जा सकता है।

3. यदि अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा किन्हीं कारणों से प्रगति असंतोषजनक पायी जाती है, तो राज्य सभा सचिवालय को किसी भी समय, बिना पूर्व सूचना के, 'अवार्ड' को समाप्त करने का अधिकार होगा।

4. राज्य सभा के सभापति की अनुमति से विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अनुसंधान परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि से अधिक समय नहीं दिया जाएगा।

5. किसी विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त कारणों अथवा किसी अन्य कारण, चाहे जो भी हो (व्यक्तिगत कारणों सहित), से परियोजना को बीच में ही छोड़ देने की स्थिति में उसे पहले से भुगतान की गई राशि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्याज की दर से राज्य सभा सचिवालय को लौटानी होगी और साथ ही पीठ/अध्येतावृत्ति परियोजना के संबंध में संकलित किए गए सभी आंकड़ों/सामग्री को राज्य सभा सचिवालय के सुपुर्द करना होगा।

6. अध्ययन के पूरा होने के उपरांत पीठ/अध्येता द्वारा अनुसंधान प्रतिवेदन में इस आशय की घोषणा उचित रूप से अंतर्विष्ट की जाएगी कि यह परियोजना मूलतः पीठ/अध्येताओं का कार्य है, इसलिए राज्य सभा सचिवालय तथ्यात्मक त्रुटियों, गलतियों, निष्कर्षों, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी नहीं है। अनुसंधान प्रतिवेदन, यदि वह प्रकाशित किया जाता है, के आवरण पृष्ठ पर पीठ/अध्येता का नाम प्रमुख रूप से अंकित किया जाएगा।

7. चयनित व्यक्ति, यदि वह पहले से नियोजित हो, को इस कार्य को शुरू करने हेतु अपनी संस्था से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

8. प्रकाशन का कॉपीराइट राज्य सभा सचिवालय के पास होगा।

9. राज्य सभा के सभापति का निर्णय सभी मामलों में अंतिम होगा।

उपाबंध-V

राज्य सभा विद्यार्थी अनुबंध इंटर्नशिप प्रदान किए जाने के लिए आवेदन प्रपत्र

1. **नाम**_____
(बड़े अक्षरों में)

2. **पिता का नाम**_____

(बड़े अक्षरों में)

3. **जन्म तिथि**_____

यहाँ पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

4. **पत्राचार हेतु पता** _____
दूरभाष/मोबाइल नं. _____
ई-मेल _____

5. **स्थायी पता** _____
_____

6. **वर्तमान में जिस संस्था में अध्ययनरत हैं, उसका नाम (पता सहित)** _____
_____

दूरभाष: _____ **फैक्स** _____

7. **शैक्षणिक योग्यताएं**:

डिग्री/प्रमाणपत्र	संस्था	वर्ष

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि इस आवेदन में दिए गए विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर _____ दिनांक _____
नाम और पता _____
_____
_____